

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14012/15/2013 - अ.भा.से.-111

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक : 17 जुलाई, 2013

**अधिसूचना**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई तिथि (तिथियाँ) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	बैच	स्थायी करने की तारीख
1	अमगोथू श्री रांगा नायिक	2009	31.08.2011
2	जी श्रीकांत	2009	31.08.2011
3	नारनावारे प्रशांत भोलानाथ	2009	12.12.2011
4	प्रदीप पी.	2009	31.08.2011
5	रूचेश जयवंशी	2009	31.08.2011
6	श्वेता सिंघल	2009	31.08.2011
7	उगले शीतल शाहजीराव	2009	31.08.2011

**नवनीत मिश्रा**  
(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)